



कल्याणकारी
योजनाओं से

संवर रहा

श्रमिकों का जीवन

विगत दो वर्षों में-

- » 11.40 लाख श्रमिकों का पंजीयन
- » श्रमिकों के हित से जुड़े 17 नए प्रशासनिक सुधार
- » 29 पुराने श्रम कानून के स्थान पर 4 नई श्रम संहिताएं लागू
- » 71 श्रम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 29 लाख 55 हजार से अधिक श्रमिकों को ₹804.77 की राशि का आबंटन



सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : [f](#) [x](#) [@](#) ChhattisgarhCMO [f](#) [x](#) DPRChhattisgarh [www.dprcg.gov.in](#)

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

पंच-सरपंच, पार्षद पति नहीं चलेगा, प्रॉक्सी प्रतिनिधि की नियुक्ति पर रोक का आदेश

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक रिश्तेदार-नातेदार अब उनके प्रॉक्सी प्रतिनिधि या लाजपन पर्सन के रूप में काम नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इनको नियुक्ति पर रोक का आदेश जारी किया है। यहाँ नही, निकायों से यह ब्योरा भी मांगा गया है कि किस महिला प्रतिनिधि के रिश्तेदार यह काम कर रहे हैं।

अब जारी हुआ ये आदेश: इस संक्षेप में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के रिश्तेदारों की प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश राज्य के सभी नगर

अब बताओ कितने रिश्तेदार हैं प्रतिनिधि

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को एक प्रोफार्मा भेजकर रिश्तेदारों में बने प्रतिनिधियों का ब्योरा कुछ बिंदुओं के आधार पर मांगा है। जिले और निकाय के नाम के साथ सासंद और विधायक

निगम आयुक्त, पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेजा गया है।

ये है मामला: राज्य शासन ने यह आदेश दरअसल इसलिए जारी किया है क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों में सासंद, विधायकों द्वारा निर्वाचित महिला



द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि का नाम, यह भी बताना होगा कि

प्रतिनिधियों के पारिवारिक रिश्तेदार-नातेदार को प्रॉक्सी प्रतिनिधि या लाजपन पर्सन नियुक्त किए जाने पर भारतीय संविधान का उल्लंघन माना है। यहाँ नही आयोग ने इस तरह के मामलों में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई का उल्लेख भी किया है। नगरपालिका अधिनियम में यह प्रावधान है कि

नगर निगम, पालिका व नगर पंचायत के महापौर, सभापति, अध्यक्ष या पार्षद के पारिवारिक सदस्य रिश्तेदार हैं या नहीं। यदि रिश्तेदार हैं तो किस महिला प्रतिनिधि के रिश्तेदार हैं, उनका नाम और पदनाम भी बताना होगा।

सासंद-विधायकों द्वारा नगरीय निकायों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का कहना है उनके संज्ञान में यह गया गया है कि कतिपय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक रिश्तेदार-नातेदार को प्रॉक्सी प्रतिनिधि, लाजपन पर्सन के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

16 साल पहले जारी हुआ था यह आदेश

2010 में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के निर्वाचित महिला पदाधिकारियों के कामकाज के संचालन के दौरान उनके सगे संबंधियों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया गया था। कहा गया था कि पदाधिकारियों के कामकाज, बैठक आदि में महिला पदाधिकारियों के कोई संबंधी रिश्तेदार भाग नहीं

लेगे और न ही हस्तक्षेप दखलदाजी करेंगे। और न ही किसी विषय पर किसी भी पदाधिकारी, कर्मियों को महिला पदाधिकारी की ओर से निर्णय लेकर सुचित करेंगे। इस तरह के मामलों में कार्रवाई के लिए कहा गया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार मानवाधिकार आयोग ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई के लिए भी कहा है।

कैट नेशनल ट्रेड एक्सपोजे में छत्तीसगढ़ के व्यापारिक संगठनों की भागीदारी



रायपुर/नवप्रदेश। देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य श्री अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमैन श्री जितेंद्र दोशी, श्री विक्रम सिंहदेव, श्री परमनंद जैन, महामंत्री श्री सुरिन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष श्री जयजय अग्रवाल, प्रशिक्षण व्यापारिक संगठनों का अध्यक्ष और सराफ समर्थन प्राप्त हो रहा है।

नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जरापुर प्रवास के दौरान दुलदुला विकास खंड के ग्राम सिरिभकेला स्थित श्री नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुए। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर देवाधिदेव महादेव से सम्पन्न छत्तीसगढ़वासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की मंगलकामना की। महाशिवरात्रि के पवन पर्व के एक दिन पूर्व आयोजित इस आध्यात्मिक आयोजन को उन्होंने श्रद्धा, आस्था और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम सिरिभकेला में सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि इससे स्थानीय नागरिकों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए सुदृढ़ आधार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कल



हम सब महाशिवरात्रि का पवन पर्व मनाएँ और इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि सिरिभकेला में भक्तों और अपने परिवारजनों के बीच आकर उन्हें आध्यात्मिक

शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है। भक्ति और श्रद्धा के इस अनूठे आयोजन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सनातन परंपरा को पुनर्स्थापित करते हुए अयोग्य धर्म दर्शन योजना एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्राएँ करा रही है। अग्रण कुमार के पंचचैत्यों पर चल्ते का प्रयास करते हुए अक्त प्रदेश के 42 हजार से अधिक तीर्थ यात्रियों को श्रीगंगालता के दर्शन कराया जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोग्य धाम में श्री रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है और हमारे यशस्वी प्रधाममंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में शीघ्र जनमणि मंदिर के निर्माण पर आज ध्वज लाया रहा है। प्रत्येक राम भक्त को आस्था 500 वर्षों तक प्रज्वलित रही - यह एक ऐसा यज्ञ था जिसकी लौ कभी

नहीं डगमगाई। हम सब निमित्त मानें हैं। भक्ति और श्रद्धा के इस दर्शन उनके भव्य मंदिर में कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को करा जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नीलकण्ठेश्वर महादेव का दर्शन पाकर वे स्वर्ग को अलंयत सीमाधाराती महासुर कर रहे हैं। दशराह पर्व के दिन नीलकण्ठ के दर्शन को अलंयत शुभ माना जाता है और आज प्राण-प्रतिष्ठा के उपरान्त यहाँ निरंतर दर्शन लाभ मिलता हल सक्के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि जरापुर में मधेश्वर महादेव स्थित है, जिसे लोक मान्यता के अनुसार पशुपति का सबसे बड़ा प्रतीक स्थलिका कहा जाता है। सनातन परंपरा में भक्ति का विशेष महत्व है और राज्य सरकार भक्तों का सम्मान करती है। सासन ग्राह में भोमदेव मंदिर में कांबीधियों पर पुष्पवर्षा कर हर वर्ष आस्था प्रकट की जाती है।

सड़कों व पुलों से बदल रही तस्वीर दूरस्थ गांव मुख्यधारा से जुड़ रहे

बढ़ी विकास की रफ्तार, दूरवर्ती क्षेत्रों में पहुँच रही विकास की रोशनी



रायपुर/नवप्रदेश। सड़कों और पुलों के निर्माण के बाद विकास व समृद्धि के रास्ते अब साफ नजर आने लगे हैं। सरकार ने अंदरूनी और दूरस्थ इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ने को प्राथमिकता देते हुए बड़े पैमाने पर सड़क और पुल-परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी है। इससे जिन इलाकों में पहले आवागमन कठिन था, वहाँ अब सालभर संपर्क बना हुआ है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हुई है और विकास कार्यों को नई गति मिली है। पिछले दो वर्षों में कांकेर जिले में 61 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से 15 पुलों के काम पूर्ण किए गए हैं। इन पुलों के बनने से जिले के लगभग 100 गांवों और करीब 80 हजार आबादी का सीधा और बारम्बारी संपर्क बर्क, तहसील और जिला

मुख्यालय से हो गया है। अब ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन जैसी सुविधाओं तक पहुँचने में पहले जैसी परेशानी नहीं होती। सरकारी योजनाएँ भी तेजी से गांवों तक पहुँच रही हैं।

आतुर बेड़ा-भैरवांग-निन्ना मार्ग पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में मैडकी नदी पर बना उच्च स्तरीय पुल इस बदलाव का उज्ज्वल प्रतीक है। इस पुल के कागज सुरुवात के लोगों का आवागमन सुगम हुआ है और प्रशासनिक गतिविधियों को भी मजबूती मिली है। सड़क और पुल नेटवर्क के विस्तार से न सिर्फ विकास कार्य तेज हुए हैं, बल्कि माओवाद प्रभावित इलाकों में

महर्षि शिवरात्रि

के

पावन पर्व पर

15 फरवरी को

त्रिवेणी संगम

राजिम में पुण्य स्नान

हार्दिक शुभकामनाएं

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

सुशासन से समृद्धि की ओर

ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

नेहरु कॉलेज के विद्यार्थियों ने लहराया परचम 11 छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय मेरिट सूची में शामिल

खोमराह/नवप्रदेश। शासकीय नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खोमराह ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता का परचम लहराया है। वर्ष 2025 की विश्वविद्यालय परीक्षाओं के विभिन्न परीणामों में महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के कुल 11 विद्यार्थियों ने इमर्जेंट यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय, जिले एवं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से



महाविद्यालय परिसर में हर्ष और उत्साह का वातावरण है।

विभिन्न विभागों का उत्कृष्ट प्रदर्शन-रसायन शास्त्र विभाग

की छात्रा आदि विजय चावक ने एम.एससी. केमिस्ट्री में

छटवीं रैंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। उनकी इस उपलब्धि को विभाग की निरंतर शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रमाण माना जा रहा है। अर्थशास्त्र विभाग से योगेश कुमार लाउरे ने एम.ए. अर्थशास्त्र में दसवीं रैंक अर्जित कर मेरिट सूची में स्थान बनाया। वहीं हिंदी विभाग की छात्रा चांदनी कवर ने एम.ए. हिंदी साहित्य में दसवीं रैंक प्राप्त कर विभाग की गौरवान्वित किया।

वनस्पति शास्त्र

विभाग बना 'गौरव'

इस वर्ष वनस्पति शास्त्र विभाग ने सर्वाधिक सफलता अर्जित की। विभाग के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया, जिसमें कु. भीमा ने तीसरी रैंक, कु. उमा ने चौथी, कु. रामेश्वरी एवं कु. तामेश्वरी साहू ने छठवीं तथा कु. मधु ने दसवीं रैंक प्राप्त की।

भौतिकी विभाग का शानदार प्रदर्शन

भौतिकी विभाग ने इस वर्ष विशेष उपलब्धि दर्ज की। विभाग की छात्रा अकिता आंधुलकर ने एम.एससी. भौतिकी में तीसरी रैंक प्राप्त कर उच्च स्थान हासिल किया, जबकि नेहा देवान ने पाठवीं रैंक अर्जित की। दोनों छात्राओं की सफलता को विभाग के निरंतर मार्गदर्शन एवं मेहनत का परिणाम बताया जा रहा है। इसकी प्रशंसा प्रभुलत विभाग की छात्रा माधुरी ने एम.ए. भूगोल में दसवीं रैंक प्राप्त कर मेरिट सूची में स्थान बनाया।

में स्थान बनाया। उनकी सफलता से विभाग में गर्व का माहौल है। महाविद्यालय प्रशासन ने दी बधाई-महाविद्यालय के जन्मदिनांश की समिति के अध्यक्ष सुनील जैन सहित समस्त सदस्यों एवं प्रभारी प्राध्यापक डॉ. भोमदी डी. तेली ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, अनुशासन और संस्कृत का परिणाम है।

न्यूज गैलरी

कर्मचारी की नियुक्ति होने के बाद भी शुरु नहीं किया जा रहा हमर क्लीनिक



कुरुद / नवप्रदेश। नगर पंचायत कुरुद के वार्ड नंबर 15 अटल आवास में बनाया गया हमर क्लीनिक 7 का उद्देश्य लोगों को बाढ़ में ही स्वास्थ्य सुविधाएं देना था। ताकि लोगों को दूर नहीं जाना पड़े बाढ़ में ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। लगभग तीन वर्षों बाद चूके हैं इस स्वास्थ्य केंद्र को बने न हो, हमर क्लीनिक को क्लीनिक अब जरूर होने की स्थिति पर आ गई। जानकारी देने पर पता चला कि शासन ने हमर क्लीनिक कुरुद में कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी है फिर भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्लीनिक को चालू नहीं किया जा रहा है बाढ़ वाली संतोषि जगति ने कहा कि इसे जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि बाढ़ वारियों एवं आस पास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

लॉक कांफ्रेस कमेटी ने सीपा ज्ञापन फार्म-7 के दुरुपयोग का मामला



छुरा /नवप्रदेश। छ. गु.प्रदेश में SIR प्रक्रिया में फॉर्म 7 के संशोधित दुरुपयोग की निगरानी एवं रोकथाम वातावरण प्रवेश कांफ्रेस कमेटी के निर्देश पर छुरा ब्लॉक कांफ्रेस कमेटी के द्वारा फॉर्म 7 के दुरुपयोग संबंध में जानकारी ली गई, जिसमें पाया गया कि पात्र मतदाता को विलोपित करने विपक्षी दल के अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दी गई है, जो खासकर विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाया गया है, जिसके नाम विलोपित करने दिया गया है, वे सभी पात्र मतदाता हैं, वर्तमान में छुरा नगर में ही निवासरत हैं, और ये सभी नाम जुड़वने छुड़क फॉर्म भर चुके हैं, इस संबंध में छुरा तहसीलदार को ब्लॉक कांफ्रेस कमेटी ने ज्ञापन सीपकर छुड़क प्रक्रिया में फॉर्म 7 के दुरुपयोग करने वाले पर सख्त कार्यवाही की मांग की है, यह लोकसाक्षिक व्यवस्था एवं आम मतदाताओं के अधिकार पर सीधा प्रहार है, मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करके जाने के पश्चात् का प्रयास किया जा रहा है, ज्ञापन संबंध में तहसीलदार ने जानकारी दी कि जो भी फॉर्म 7 भर है (नाम विलोपित करने) उस मतदाता की वास्तविक जानकारी लेने के बाद ही कारवाही की जावेगी ज्ञापन प्रवेश कांफ्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि यशवंत शाह, नगर पंचायत उपाध्यक्ष अटुल शर्मा, खान, रंजीत ठाकुर, पाण्डे हरिश यादव, सलीम मेमन, पंचराम डंडन, देवसिंह नेताय, शांतनु देवांगन, युगेश कोरे के प्रदेश सचिव आकाश दीक्षित आदि द्वारा दिया गया एवं कार्यवाही की मांग की गई।



नगरी/नवप्रदेश। नगरी नगर के लिए एवं की बात है कि यहाँ की प्रतिभाशाली बेटी ललिमा सेन का चयन केन्द्रीय ओलंपिक सुरक्षा बल में एक्सप्रेसजीवी कर पर हुआ है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि से पूरे नगर एवं क्षेत्र में हर्ष और उत्साह का माहौल है। शुरुआत को प्रशिक्षण के लिए स्वाना होने से पूर्व परिवारजनों, मोहोलासियों एवं शुभचिन्तकों द्वारा उन्हे 'जूलत लिखत कर भावभीनी विदाई दी गई। ललिमा सेन, पिता बहाल लाल सेन एवं माता पुष्प सेन की सुपुत्री हैं। इस अवसर पर बहल राजेश्वरी सेन, छोटो बहन साल्नी सेन, छोटे भाई नमीकांत सेन (लकी) सहित परिवारजनों ने गर्व एवं खुशी के साथ उन्हें शुभकामनाएं दी। काका रजनीश सेन एवं भण्डा शेनारायण सेन सहित समस्त परिवार एवं मित्राण उपस्थित रहे और उनके उज्जल भविष्य की कामना की। समग्र प्रसंगों एवं क्षेत्वासियों ने कहा कि ललिमा सेन की यह सफलता युवाओं के लिए प्रेरणाक्षेत्र है और उनके परिश्रम, लगन व समर्पण का परिणाम है। उनकी इस उपलब्धि पर समाजजनों की बधाई के सहित पोषण के लिए हरी सब्जियाँ, फल, दूध एवं घर पर बने पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देने की सलाह दी।

दुगली के आवासगारा आंगनबाड़ी केंद्र में मनाया गया वजन त्योहार

नगरी/नवप्रदेश। दुगली के आवासगारा आंगनबाड़ी केंद्र में वजन त्योहार का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम में जनपद सदस्य कलावती मरकाम एवं वरुणा देव नेताय विभिन्न रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों का वजन लेकर स्वयं निरीक्षण किया तथा माताओं को बच्चों के वजन पर पोषण के लिए हरी सब्जियाँ, फल, दूध एवं घर पर बने पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देने की सलाह दी।

जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं रियूय समिति की बैठक, कलेक्टर ने की बैंकिंग योजनाओं की समीक्षा

जरूरतमंद लोगों को आसानी से मिले ऋण, किसानों का रखें पूरा ख्याल

महामुद्रा

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय रियूय समिति की संयुक्त बैठक गुलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित हुआ। बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित विभिन्न बैंकिंग, वित्तीय एवं स्वरोजगार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्लीनिक को चालू नहीं किया जा रहा है बाढ़ वाली संतोषि जगति ने कहा कि इसे जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि बाढ़ वारियों एवं आस पास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।



संबंधित बैंकों से लीबन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को आवश्यकता अनुसार आसान और सरल तरीके से ऋण उपलब्ध कराएँ तथा किसानों को केसीसी लोन, छोटे व्यवसायियों के लिए मुद्रा एवं शासकीय विभागों द्वारा संचालित लोन को विलसव स्वीकृति दें। कलेक्टर ने किसानों के लिए ई-कॉपी के अंतर्गत डेयरी एवं मत्स्य पालन से संबंधित ऋण प्रकरणों की

स्वीकृति पर चर्चा करते हुए मत्स्य पालन, डेयरी एवं पशुपालन गतिविधियों को विशेष महत्व देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बैंक आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता शिविर का सतत आयोजन करें तथा उनका प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित करें। लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके भी बताएं ताकि उनकी जमा पूंजी बैंकों में सुरक्षित रहे। साथ ही कहा कि बैंक किसी भी तरह के फ्रॉड

गतिविधियों में संलग्न न हो और न ही बिना नियमानुसार कोई भी प्रकरण स्वीकृत करें। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों के माध्यम से किसानों को आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र केसीसी खातों के शत-प्रतिशत कवरेज के निर्देश दिए गए। साथ ही भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान की नीति माह की समीक्षा भी की गई।

बैठक में भारतीय स्टेट बैंक की विधिशा शाखा को तहसील बसना के ग्राम भंवरापुर में स्थानांतरित किए जाने संबंधी अनुमोदन प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। जिला स्तरीय रियूय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रदर्शन को समीक्षा की गई।

राजिम कुंभ कल्प : दंडी स्वामी सच्चिदानंद के सानिध्य में सम्पन्न हुआ सरस्वती महायज्ञ

छात्र-छात्राओं ने श्रद्धापूर्वक खली समिया

राजिम / नवप्रदेश। कुंभ कल्प मेला के संत सामागम स्थल पर शुरुवात को औपचारिक उद्घाटन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सरस्वती महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। दंडी स्वामी सच्चिदानंद तीर्थ महाराज के संघ में सम्पन्न इस यज्ञ में स्कूली छात्र-छात्राओं ने श्रद्धा



और अनुशासन के साथ समिया अर्पित कर अग्रज की पुर्ण किया। यज्ञ में सरस्वती शिशु मंदिर नवापार के 75, सरस्वती

शिशु मंदिर राजिम के 45 तथा नवपार पंचिक स्कूल के करीब 50 विद्यार्थियों ने सहभागिता निभाई।

अल्ट्राटेक रावन ने सीएसआर में दिया मत्स्य पालन पर प्रशिक्षण

भाटपापरा / नवप्रदेश। अल्ट्राटेक रावन सीएसआर द्वारा शासकीय मछली पालन विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के संयुक्त प्रयास से मत्स्य पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 70 किसानों और युवाओं ने बहु-चक्रक हिस्सा लिया।



कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धति से मत्स्य पालन के गुरु शिक्षाना और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान डॉ. अंगद सिंह राजपुत सिनियर

साहटिस्ट कृषि विज्ञान केन्द्र, वी के वर्मा सहकृषक संचालक मछली पालन विभाग, जिलियम रावट रिश्ता ईसेपकेर पलारी, प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण बीज चयन, आहार प्रबंधन, जल गुणवत्ता निरीक्षण और रोग

प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। प्रतिभागियों को मत्स्य पालन से जुड़े वर्तमान बाजार परिदृश्य, संपादित आय और सरकारी योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में राज्य अलंकरण खूबचंद बघेल कुक्कड़ ख पुरुष्कार से सम्मानित वामन टिकरीश ने भी किसानों को प्रेरित किए। इस अवसर पर अल्ट्राटेक रावन सीएसआर द्वारा वामन टिकरीश को सम्मानित किया गया।

नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल- ऑयल पाम योजना से किसानों की आय बढ़ेगी: कलेक्टर

पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देन एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

जिले में किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा

महामुद्रा // नवप्रदेश। पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार भारत सरकार द्वारा लगातार किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल- ऑयल पाम योजना के



संबंध में आज कृषि विज्ञान केंद्र भलेसर में उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र भलेसर के संयुक्त संस्थापन में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रंजीत देव, योगेश्वर पंडाकर, आर एल शर्मा, धनक स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एवं

हमें ऐसी फसलों की और रुख का होना जिसमें पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाकर बेहतर फसल ले सकें। परंपरागत खेती के अलावा नए, सक्षम एवं मछली पालन जैसे क्षेत्रों को विकसित हैं जिसके माध्यम से आज किसान अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार की भी यही मंशा है कि किसानों को अधिक से

कृषक सितार चंद्राकर की जुबानी

किसान सितार चंद्राकर जिन्होंने खुद 32 एकड़ में पाम ऑयल की खेती की है उन्होंने इसकी खेती के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाम ऑयल कीट और बीमारियों, श्रम आसुर्यकताओं, उपज के विषयों के मामले में सभी बाधाओं से मुक्त फसल है और उपज के वर्ण से ही नियमित मासिक आय प्रदान करता है। साथ ही अपने अनुभवों एवं लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि पाम ऑयल के उत्पादन की सीमा 4-5 साल तक की है। और बढ़ते उत्पादन के वरम तक पहुंचने के लिए 2-3 साल की अतिरिक्त अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है। इसलिए, यह सुझाव दिया गया था कि किसान शुरुआती वर्षों में सहायियों के साथ अंतर फसलों पर विचार कर सकते हैं।

अधिक लाभ हो। पाम ऑयल के ऊपर आज हमारा देश दूसरे देशों पर निर्भर है, उसी निर्भरता को कम करने के लिए हमें पाम ऑयल को अधिक से अधिक पैदा करने की योजना लायी गई है। साथ ही इस खेती से जुड़े सवालों पर किसानों को संबोधित करते हुए

पिथौरा में 11वें श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव को लेकर भक्तिमय वातावरण, निकलेगी विशाल निशान यात्रा



कार्यक्रम स्थल श्री अरसेन भवन तक भव्य एवं विशाल निशान यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में

में बड़ी संख्या में श्याम भक्त केसरिया ध्वज, रंग-बिरंगे निशान एवं बाबा श्याम के जवकारों के साथ भवन प्रणम करेंगे। दोहन-गाढ़ाई और भजनों की मधुर धुनियों से पूरा नगर एवं श्री श्याम के उद्देश्य से गुंज उठेगा महोत्सव के दूसरे दिन 19 फरवरी को सायं 7 बजे खाद वाले श्याम बाबा का अलौकिक एवं भव्य श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार के पश्चात श्याम भवन संघा का भव्य आयोजन होगा।

वन्यजीव अपराधियों पर सख्ती की तैयारी दो दिवसीय कार्यशाला में दिया प्रशिक्षण

महामुद्रा / नवप्रदेश। वन्यजीव अपराधों द्वारा वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी निरीक्षण एवं सुदृढ़ न्यायालयीन कार्रवाई सुनिश्चित करना है, ताकि दीर्घायों को कबوتر डंड दिलाया जा सके और अधिभूत शिकार व तस्करी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी अग्रुह लगाया जा सके। कार्यशाला में हिट्टी डायरेक्टर उदय-सीतारानी टाडगर, निरवल वरुण जैन, वन्यजन्तुधिकारी मयंक पांडेय, आदि उपस्थित रहे।

वैज्ञानिक तरीके से साथ संकलन, प्रकरणों का विश्लेषण पंजीकरण एवं प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करना है, ताकि दीर्घायों को कबوتر डंड दिलाया जा सके और अधिभूत शिकार व तस्करी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी अग्रुह लगाया जा सके। कार्यशाला में हिट्टी डायरेक्टर उदय-सीतारानी टाडगर, निरवल वरुण जैन, वन्यजन्तुधिकारी मयंक पांडेय, आदि उपस्थित रहे।

बोर्ड परीक्षा सिर पर, छुईखदान में लाउरेखदान का आतंक

छुईखदान /नवप्रदेश।

छुईखदान ब्लॉक में खनि प्रदूषण केवल होता जा रहा है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन क्षेत्र में लाउरेखदान के तेल शोध पर प्रत्यक्ष पुरे तरह लातलाख नजर आ रहा है। विद्यार्थियों का भविष्य दूध पर लगा हुआ है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कदम उठते नहीं दिख रहे हैं।

क्षेत्र में भूमिगत, सार्वजनिक और निजी आयोजनों में देर रात तक तेल आयोजन में प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। परीक्षा की तैयारी में जुड़े छात्र-छात्राएं शोचनीय स्थिति में देखे जा रहे हैं। अधिकांशों का कहना है कि बच्चों की परीक्षाएं थकावट भरी रही हैं और फर्नसिक दबाव लगातार बढ़ रहा है।

[illegible]

कलेक्टर,
जिला-राजलान्छांग

नह्ने कदम, सशक्त भारत : महसमुंद, धमतरी, मुंगेली और नारायणपुर जेसे जिलों में दिखाई दे रहा परिवर्तन

आंगनबाड़ी केंद्रों का राष्ट्रीय रूपांतरण : शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और रोजगार का समन्वित मॉडल



रायपुर/नवप्रदेश। भारत का भविष्य जिन नन्हें कदमों पर आगे बढ़ता है, वे आज देशभर के आंगनबाड़ी केंद्रों में आविर्भाव, विज्ञान और सुसज्जित के साथ नई दिशा पा रहे हैं। कभी केवल पोषण और देखभाल तक सीमित माने जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्र आज प्रारंभिक बाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना और ग्रामीण रोजगार के बहुआयामी केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के महसमुंद, धमतरी, मुंगेली और नारायणपुर जैसे जिलों में दिखाई दे रहा यह परिवर्तन अब राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रेरक मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है। महान्या गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और महिला एवं बाल विकास विभाग के अभियान से निर्मित नवीन आंगनबाड़ी भवनों ने Building as Learning Aid (BALA) की

धमतरी का बाला मॉडल
प्रारंभिक बाल शिक्षा को रोजक और प्रभावी बनाने की दिशा में धमतरी जिले का बाला मॉडल एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। मनरेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग और 15वें वित्त आयोग के सहयोग से जिले में 81 बाला आधारित आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमन प्रारंभ किया गया है, जिनमें से 51 केंद्र पूर्ण हो चुके हैं।



अवधारणा को जमीनी स्तर पर साकार कर दिया है। 11.69 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्रत्येक भवन में खूली जगहों को शिक्षण माध्यम के रूप में विकसित किया गया है। दीवारों, फर्श, सीढ़ियों, दरवाजों और

न्यूज गैलरी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह उप : कन्हैया अग्रवाल

रायपुर/नवप्रदेश।



प्रदेश कांसिप केमेट्री के महसमी कन्हैया अग्रवाल ने प्रेस विज्ञापि जारी कर रायपुर सहित प्रदेश की चरमराइ हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गहरी फिला व्वाक की है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद संभवतः यह पहला मौका है जब प्रदेश के मुख्य भंडारण केंद्रों में ही राशन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हजारों गरीब परिवार राशन की मोहताज हो रहे हैं।

कन्हैया अग्रवाल ने आरोप लगाया कि राशन और प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण आज रायपुर की राशन दुकानों से चावल, शकर, नमक और मिठ्ठी तेल गायब है। स्थिति इतनी भयावह है कि गुडिचारी, मिर्च हरीद और बिरंगाल जैसे बड़े भंडारण केंद्रों में चावल का स्टॉक शून्य है। जिन केंद्रों में थोड़ा-बहुत राशन बचा भी है, वहां परिवारों के लिए पाण्डिया उपलब्ध नहीं है। महीने की 12 तारीख बीत जाने के बाद भी हिलग्राहियों को उनका मासिक राशन नहीं मिल पाया है। प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने कड़े शब्दों में कहा, यह सरकार की प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है कि गरीबों की बुनियादी जरूरत की चीजों-चावल, नमक और मिठ्ठी तेल-की अनुपलब्धता बनी हुई है। सरकार केवल उपरसों में व्यस्त है, जबकि जमीनी स्तर पर पीछेछाप व्यवस्था पूरी तरह टाढ़ हो चुकी है। कांसिप नेता ने सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आगामी 48 घंटों के भीतर भंडारण केंद्रों और उचित मूल्य को एकानों में राशन की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई, तो प्रदेश कांसिप केमेट्री डा आंदोलन के लिए बाध्य होगी। गरीबों के पेट पर लात मारने वाली इस अवस्था को बदलना नहीं किया जाएगा।

भाजपा ने आरटीई में भर्ती नियम बदलकर शिक्षा का अधिकार छीना

रायपुर/नवप्रदेश। आरटीई में इस वर्ष 2.4 हजार से अधिक सीट कम होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्वाक करते हुए प्रदेश कांसिप के बरिष्ठ प्रवक्ता भर्नवल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ऐसा बचाने आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों की नसरी, पीपी-नन एवं पीपी-टू में भर्ती के नियम खत्म कर सीधा कलास वन में ही भर्ती की अनिवार्यता कर गरीब बच्चों की शिक्षा का अधिकार छीन लिया है। इस नियम से आरटीई के तहत पिछले वर्ष की तुलना में 44,173 सीट पर भर्ती की जगह अब मात्र 19 हजार 466 सीट पर ही भर्ती होगी, मतलब 24 हजार से अधिक सीट खाली कर दी गई। इससे गरीबों को अपने बच्चों को निजी स्कूलों में नसरी व पीपी-नन पढ़ाने मुश्किल खात करतम पड़ेगा। कति पीपी-टू के बाद उत्ती स्कूल में आरटीई के तहत बच्चों का एडमिशन हो सके। प्रदेश कांसिप के बरिष्ठ प्रवक्ता भर्नवल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांसिप की सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाये तो स्पष्ट रूप से नियम बनाया की निजी स्कूलों में भर्ती नसरी से क्लास वन तक होगी। भाजपा सरकार ने आरटीई में नियम बदलने अपने ही पूर्ण सरकार के 2014 के लाफ फैसले को बदल दिया। अब गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में अंगीठी माध्यम की शिक्षा कैसे मिलेगी? सरकार की स्कूलों की स्थिति इस सरकार में कैसे हो दयनीय है। कांसिप सरकार नेगरीय बच्चों को मुफ्त अंगीठी की शिक्षा देने स्वामी आलमनन्द अंगीठी माध्यम योजना शुरू किया था। प्रदेश में सैकड़ों स्कूलों को उत आधुनिक बनाया था। भाजपा की सरकार ने उस योजना की ही बंद कर दिया, जो स्कूल चल रहे है वह शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा, भागी अवस्था है। अब आरटीई में भी बदलाव कर गरीब बच्चों को अंगीठी की शिक्षा से दूर कर दिया। भाजपा अक्षिज करतम की शिक्षा से दूर क्यों करना चाहती है? प्रदेश के माध्यम को क्यों खाली कर रहे हैं? कांसिप माग करती है आरटीई में नसरी, पीपी-नन, पीपी-टू से एडमिशन की प्रक्रिया को पुनः बहाल करे, ताकि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके।

बैक सुविधाओं के साथ अब करोड़ों का बीमा कवरेज



रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ स्टेट पीपल ट्रांसमिशन कंपनी एवं बैक ऑफ महाराष्ट्र के बीच ट्रांसमिशन कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए उलत सरीती फेकेज हेतु समझौता अमन पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता प्रबंध निदेशक ट्रांसमिशन श्री आरके शुक्ला और बैक ऑफ महाराष्ट्र के गैलरी मैनेजर श्री बी. वेंकटराव की उपस्थिति में संजय हुआ। कंपनी के नियमित कर्मचारियों को बैकिंग की व्वाक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबंधन द्वारा यह एग्रीअर किया गया। इस योजना से ट्रांसमिशन कंपनी के नियमित 1700 कर्मचारियों को अब न केवल ब्याज बैकिंग सुविधाएं मिलेंगी बल्कि व्वाकगत दुर्घटना बीमा, वेलार् दुर्घटना बीमा, स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर, टर्म इंश्योरंस, गार्डन और कैपेसिटी ट्रीटमेंट, बालिका विवाह लाभ, बच्चों की उच्च शिक्षा लाभ जैसे अतिरिक्त सुविधाएं भी प्राप्त किए जा सकेंगे। नियमित कर्मचारियों को इस "गवर्नमेंट प्रोडिड सर्विसेस सैररी स्कीम" खाते से जोड़ कर उन्हें एक ही छत्र के नीचे अत्र, निशुल्क और व्वाक बैकिंग सुविधाएं देया जाएगा। कर्मचारी के कर्मचारियों को कर श्रेणीगत जैसे सिरकार (30,000-60,000), गौहिर (60,000-1,00,000), प्लेनरियन (1,00,000-1,50,000) एवं धामयंड (1,50,000 से उपर) वेतनभोगियों को श्रेणी अनुसार सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

एक अप्रैल से अधिकारी का नया नियम बड़े रेस्टोरेंट नहीं बेच सकेंगे सस्ती शराब

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के सभी सरीय रेस्टोरेंट में अब कम कीमत वाली सी ग्रेड की शराब नहीं बेची जा सकेगी। ये रेस्टोरेंट अब केवल हाईड्रेड की शराब ही बेच पाएंगे।



शराब पार्टी की अनुमति कलेक्टर के हाथ

नई बार पॉलिसी में वर्ष 2026-27 के लिए होटल के बैकडेट डाल आदि में अप्रैलित पार्टी या कांसिप के लिए एल.5/एफ.5 क लाइसेंस प्राप्ति किये जाने हेतु आकार की आरुक्त से पुनर्निर्माण किये जाने लाइसेंस प्राप्ति को समाप्त किया गया है। ऐसी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संबंद्ध जिले के कलेक्टर द्वारा की जा सकेगी। एफ.एल.ए एफ.एल.5 क लाइसेंस जिले के कलेक्टर द्वारा जारी करने के पछे, अप्रैलित रखा का नियमानुसार निरीक्षण किया जाएगा। अनुज्ञप्ति धारक के लिए यह अनिवार्य शर्त होगी कि आयोजित होने वाली पार्टी या आयोजन या कांसिप संबंधी विवरण का अभिलेख रखेगा। आबकारी विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निरीक्षण के समय अभिलेख का उपलब्धता भी कराया जाएगा। पीने-पिलाने की अवधि दोपहर 12 से रात 12 बजे तक होगी।

शराब हो फिजाली। जनकारों का मानना है कि, इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि सरीय रेस्टोरेंट में सी ग्रेड की शराब

बड़ी शराब होगी नष्ट तो मानी जाएगी अवैध

नीति में ये साफकिया गया है कि एफ.एल.5 और एक अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बचत मंदिरा स्क्व के ससुंगु विवरण सलित अच्यपण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा तथा उपभोग से शेष रही मंदिरा का अच्यपण नहीं किये जाने की रखा में उक्त मंदिरा अवैध मानी जावेगी। उपभोग से शेष रही मंदिरा का विधिवत् नियमानुसार नष्टकरण जिला स्तर की समिति गठित कर किया जाएगा। सूत्रों से अनुसार एक दिन की पार्टी के लिए अनुमति का अधिकार आबकारी कमिशनर की जगह जिला कलेक्टर को दिए जाने के पीछे कारण ये है कि पार्टी देने वालों के आसानी से अनुमति या लाइसेंस मिल सके। इसके साथ ही यह बदलाव इमालीर भी किया गया है कि अवैध शराब पर रोक लाइज जा सके। होता ये था कि अगर कोई व्यक्ति फार्म हाइस में या किसी अन्य स्थान पर शराब की पार्टी देने के लिए करी से शराब लाकर पोसने का काम करत था, आबकारी विभाग के मुताबिक यह कानून अमराप है।

स्कैश स्पर्धा में यश और अर्चिता पहले स्थान पर



रायपुर/नवप्रदेश। प.र.विशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के तत्वावधान में प्रगति महाविद्यालय द्वारा आयोजित अंतराविद्यालयीय स्कैश प्रतियोगिता का उद्घाटन

कहा कि स्पर्धा मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है बिना स्पर्धा के मानव जीवन नीरस है अतः स्पर्धा का होना और आवश्यक है, किसी भी स्पर्धा में पूरे मन व जोर से उतारन चाहिए चाहे परिणाम कुछ भी रहे। खेल में भाग लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है, खेल में जीतने या हारने से। अंतर महाविद्यालय स्कैश प्रतियोगिता का आयोजन प्रगति कलेज के द्वारा इण्डोर स्टेडियम कलेजवा स्थित स्कैश हॉल में किया गया।

मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना से बच्चों को मिला स्वास्थ्य संबल

■ 80 बच्चों की स्वास्थ्य जांच, 29 कुपोषित-अति कुपोषित बच्चों का तत्काल उपचार



उन्हें समुचित उचार एवं पोषण परामर्श उपलब्ध करवाया जा रहा है। महसमुंद जिले में नारायण शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य स्थिर में आयोजित विशेष स्वास्थ्य स्थिर में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के कुल 80 बच्चों का विवरण स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण के

दौरान 29 बच्चों को कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों में पाए गए, जिन्हें तत्काल आवश्यक दवाइय, चिकित्सकीय परामर्श तथा पोषण संबंधी उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। गरीब रूप से प्रभावित बच्चों को नियमित कीर्तीअए एवं आवश्यकता पड़ने पर पोषण

आदिवासी जीवन पर आधारित फिल्म 'अरन्य' ओटीटी पर रिलीज



अरन्य विकास के नाम पर जलनों के अतिक्रमण, प्रशासनिक

अनुमतिवों के दुरुपयोग और आदिवासी समाज के विस्थापन जैसे गंभीर मुद्दों को गंभीर और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत की है। फिल्म के निर्देशक निरंश झा ने कहा- अरन्य उन जंगलों और आदिवासी समुदायों की अवज्ञा है, जिनकी पड़ोस अरन्य विकास को जानकारी में दब जाता है। यह फिल्म दिखाती है कि प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग से किस प्रकार जल-जलन-जमीन पर निरंतर लोगों का जीवन प्रभावित होता है।

छत्तीसगढ़ में झाई मौसम, तापमान 2-3 डिग्री बढ़ा

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में मौसम पूरी तरह झाई बना हुआ है। ठंड का असर अभी तक दिखाई पड़ रहा है। इस समय दिन में गर्मी और सुबह-सुबह हल्की ठंड का असर बना हुआ है। हालांकि पिछले चार-पांच दिनों के भीतर राज्य के औसत तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अगले सात दिनों में गहरी ठंड रहने का अनुमान है। पिछले 24

घंटों में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 32.5° रायपुर और सबसे कम न्यूनतम तापमान 9°C अधिकपुर में दर्ज किया गया है। रायचूर में बारिश के अंकड़े न्यून रहे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जायदपुर, अकिचपुर और बरगु में दिन का तापमान सामान्य से करीब 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, जिससे दिन में गर्मी बढ़ गई है। बिहारल तक सैनिटीक सिस्टम एक्टिव नहीं है।

कोंडागांव मक्का प्लांट तनाव के लिए सरकार जिम्मेदार

रायपुर/नवप्रदेश। कोंडागांव के कोकोडी स्थित मक्का प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों के प्रदर्शन के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांसिप अध्यक्ष दीपक बैन ने कहा है कि इस सरकार की अनशुकीय के चलते ही जनता का प्रशासन पर गंभीर खराब हो रहा है, ग्रामीण पिछले 1 खास से सैकड़ों रिक्कात कर चुके थे और अब लोग यह दर्शन हुए लौटिन सरकार सेवक हैं। दीपक बैन ने कहा कि प्वांरवण प्रदूषण के निर्माण का पकान करी पर नहीं हो रहा है, सरकारी विभाग और निगामी सीनियरों केवल कमावों में है, औद्योगिक अपशिष्ट और प्रदूषण गंभीर समस्या बन चुका है।

लिए डेटा और प्रत्येक परिवार की हिस्ट्री तैयार होगी। इस तरह अगले नई बालिक परिवार के सदस्यों पर केंद्रित होगा।

जनागना निदेशालय हर घर के एक-एक सदस्य की जानकारी भी इकट्ठा करेगा। इस तरह अगले साल फरवरी 2027 से शुरू होने वाली दूसरे चरण की जनागना के

नियमन प्रारंभ किया गया है, जिनमें से 51 केंद्र पूर्ण हो चुके हैं।

अनुमानित रूप से 2026-27 के लिए होटल के बैकडेट डाल आदि में अप्रैलित पार्टी या कांसिप के लिए एल.5/एफ.5 क लाइसेंस प्राप्ति किये जाने हेतु आकार की आरुक्त से पुनर्निर्माण किये जाने लाइसेंस प्राप्ति को समाप्त किया गया है। ऐसी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संबंद्ध जिले के कलेक्टर द्वारा की जा सकेगी। एफ.एल.ए एफ.एल.5 क लाइसेंस जिले के कलेक्टर द्वारा जारी करने के पछे, अप्रैलित रखा का नियमानुसार निरीक्षण किया जाएगा। अनुज्ञप्ति धारक के लिए यह अनिवार्य शर्त होगी कि आयोजित होने वाली पार्टी या आयोजन या कांसिप संबंधी विवरण का अभिलेख रखेगा। आबकारी विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निरीक्षण के समय अभिलेख का उपलब्धता भी कराया जाएगा। पीने-पिलाने की अवधि दोपहर 12 से रात 12 बजे तक होगी।

शराब हो फिजाली। जनकारों का मानना है कि, इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि सरीय रेस्टोरेंट में सी ग्रेड की शराब

नीति में ये साफकिया गया है कि एफ.एल.5 और एक अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बचत मंदिरा स्क्व के ससुंगु विवरण सलित अच्यपण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा तथा उपभोग से शेष रही मंदिरा का अच्यपण नहीं किये जाने की रखा में उक्त मंदिरा अवैध मानी जावेगी। उपभोग से शेष रही मंदिरा का विधिवत् नियमानुसार नष्टकरण जिला स्तर की समिति गठित कर किया जाएगा। सूत्रों से अनुसार एक दिन की पार्टी के लिए अनुमति का अधिकार आबकारी कमिशनर की जगह जिला कलेक्टर को दिए जाने के पीछे कारण ये है कि पार्टी देने वालों के आसानी से अनुमति या लाइसेंस मिल सके। इसके साथ ही यह बदलाव इमालीर भी किया गया है कि अवैध शराब पर रोक लाइज जा सके। होता ये था कि अगर कोई व्यक्ति फार्म हाइस में या किसी अन्य स्थान पर शराब की पार्टी देने के लिए करी से शराब लाकर पोसने का काम करत था, आबकारी विभाग के मुताबिक यह कानून अमराप है।

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के सभी सरीय रेस्टोरेंट में अब कम कीमत वाली सी ग्रेड की शराब नहीं बेची जा सकेगी। ये रेस्टोरेंट अब केवल हाईड्रेड की शराब ही बेच पाएंगे।

नई बार पॉलिसी में वर्ष 2026-27 के लिए होटल के बैकडेट डाल आदि में अप्रैलित पार्टी या कांसिप के लिए एल.5/एफ.5 क लाइसेंस प्राप्ति किये जाने हेतु आकार की आरुक्त से पुनर्निर्माण किये जाने लाइसेंस प्राप्ति को समाप्त किया गया है। ऐसी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संबंद्ध जिले के कलेक्टर द्वारा की जा सकेगी। एफ.एल.ए एफ.एल.5 क लाइसेंस जिले के कलेक्टर द्वारा जारी करने के पछे, अप्रैलित रखा का नियमानुसार निरीक्षण किया जाएगा। अनुज्ञप्ति धारक के लिए यह अनिवार्य शर्त होगी कि आयोजित होने वाली पार्टी या आयोजन या कांसिप संबंधी विवरण का अभिलेख रखेगा। आबकारी विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निरीक्षण के समय अभिलेख का उपलब्धता भी कराया जाएगा। पीने-पिलाने की अवधि दोपहर 12 से रात 12 बजे तक होगी।

शराब हो फिजाली। जनकारों का मानना है कि, इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि सरीय रेस्टोरेंट में सी ग्रेड की शराब

नीति में ये साफकिया गया है कि एफ.एल.5 और एक अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बचत मंदिरा स्क्व के ससुंगु विवरण सलित अच्यपण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा तथा उपभोग से शेष रही मंदिरा का अच्यपण नहीं किये जाने की रखा में उक्त मंदिरा अवैध मानी जावेगी। उपभोग से शेष रही मंदिरा का विधिवत् नियमानुसार नष्टकरण जिला स्तर की समिति गठित कर किया जाएगा। सूत्रों से अनुसार एक दिन की पार्टी के लिए अनुमति का अधिकार आबकारी कमिशनर की जगह जिला कलेक्टर को दिए जाने के पीछे कारण ये है कि पार्टी देने वालों के आसानी से अनुमति या लाइसेंस मिल सके। इसके साथ ही यह बदलाव इमालीर भी किया गया है कि अवैध शराब पर रोक लाइज जा सके। होता ये था कि अगर कोई व्यक्ति फार्म हाइस में या किसी अन्य स्थान पर शराब की पार्टी देने के लिए करी से शराब लाकर पोसने का काम करत था, आबकारी विभाग के मुताबिक यह कानून अमराप है।

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के सभी सरीय रेस्टोरेंट में अब कम कीमत वाली सी ग्रेड की शराब नहीं बेची जा सकेगी। ये रेस्टोरेंट अब केवल हाईड्रेड की शराब ही बेच पाएंगे।

नई बार पॉलिसी में वर्ष 2026-27 के लिए होटल के बैकडेट डाल आदि में अप्रैलित पार्टी या कांसिप के लिए एल.5/एफ.5 क लाइसेंस प्राप्ति किये जाने हेतु आकार की आरुक्त से पुनर्निर्माण किये जाने लाइसेंस प्राप्ति को समाप्त किया गया है। ऐसी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संबंद्ध जिले के कलेक्टर द्वारा की जा सकेगी। एफ.एल.ए एफ.एल.5 क लाइसेंस जिले के कलेक्टर द्वारा जारी करने के पछे, अप्रैलित रखा का नियमानुसार निरीक्षण किया जाएगा। अनुज्ञप्ति धारक के लिए यह अनिवार्य शर्त होगी कि आयोजित होने वाली पार्टी या आयोजन या कांसिप संबंधी विवरण का अभिलेख रखेगा। आबकारी विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निरीक्षण के समय अभिलेख का उपलब्धता भी कराया जाएगा। पीने-पिलाने की अवधि दोपहर 12 से रात 12 बजे तक होगी।

शराब हो फिजाली। जनकारों का मानना है कि, इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि सरीय रेस्टोरेंट में सी ग्रेड की शराब

नीति में ये साफकिया गया है कि एफ.एल.5 और एक अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बचत मंदिरा स्क्व के ससुंगु विवरण सलित अच्यपण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा तथा उपभोग से शेष रही मंदिरा का अच्यपण नहीं किये जाने की रखा में उक्त मंदिरा अवैध मानी जावेगी। उपभोग से शेष रही मंदिरा का विधिवत् नियमानुसार नष्टकरण जिला स्तर की समिति गठित कर किया जाएगा। सूत्रों से अनुसार एक दिन की पार्टी के लिए अनुमति का अधिकार आबकारी कमिशनर की जगह जिला कलेक्टर को दिए जाने के पीछे कारण ये है कि पार्टी देने वालों के आसानी से अनुमति या लाइसेंस मिल सके। इसके साथ ही यह बदलाव इमालीर भी किया गया है कि अवैध शराब पर रोक लाइज जा सके। होता ये था कि अगर कोई व्यक्ति फार्म हाइस में या किसी अन्य स्थान पर शराब की पार्टी देने के लिए करी से शराब लाकर पोसने का काम करत था, आबकारी विभाग के मुताबिक यह कानून अमराप है।

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के सभी सरीय रेस्टोरेंट में अब कम कीमत वाली सी ग्रेड की शराब नहीं बेची जा सकेगी। ये रेस्टोरेंट अब केवल हाईड्रेड की शराब ही बेच पाएंगे।

नई बार पॉलिसी में वर्ष 2026-27 के लिए होटल के बैकडेट डाल आदि में अप्रैलित पार्टी या कांसिप के लिए एल.5/एफ.5 क लाइसेंस प्राप्ति किये जाने हेतु आकार की आरुक्त से पुनर्निर्माण किये जाने लाइसेंस प्राप्ति को समाप्त किया गया है। ऐसी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संबंद्ध जिले के कलेक्टर द्वारा की जा सकेगी। एफ.एल.ए एफ.एल.5 क लाइसेंस जिले के कलेक्टर द्वारा जारी करने के पछे, अप्रैलित रखा का नियमानुसार निरीक्षण किया जाएगा। अनुज्ञप्ति धारक के लिए यह अनिवार्य शर्त होगी कि आयोजित होने वाली पार्टी या आयोजन या कांसिप संबंधी विवरण का अभिलेख रखेगा। आबकारी विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निरीक्षण के समय अभिलेख का उपलब्धता भी कराया जाएगा। पीने-पिलाने की अवधि दोपहर 12 से रात 12 बजे तक होगी।

शराब हो फिजाली। जनकारों का मानना है कि, इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि सरीय रेस्टोरेंट में सी ग्रेड की शराब

नीति में ये साफकिया गया है कि एफ.एल.5 और एक अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बचत मंदिरा स्क्व के ससुंगु विवरण सलित अच्यपण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा तथा उपभोग से शेष रही मंदिरा का अच्यपण नहीं किये जाने की रखा में उक्त मंदिरा अवैध मानी जावेगी। उपभोग से शेष रही मंदिरा का विधिवत् नियमानुसार नष्टकरण जिला स्तर की समिति गठित कर किया जाएगा। सूत्रों से अनुसार एक दिन की पार्टी के लिए अनुमति का अधिकार आबकारी कमिशनर की जगह जिला कलेक्टर को दिए जाने के पीछे कारण ये है कि पार्टी देने वालों के आसानी से अनुमति या लाइसेंस मिल सके। इसके साथ ही यह बदलाव इमालीर भी किया गया है कि अवैध शराब पर रोक लाइज जा सके। होता ये था कि अगर कोई व्यक्ति फार्म हाइस में या किसी अन्य स्थान पर शराब की पार्टी देने के लिए करी से शराब लाकर पोसने का काम करत था, आबकारी विभाग के मुताबिक यह कानून अमराप है।

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के सभी सरीय रेस्टोरेंट में अब कम कीमत वाली सी ग्रेड की शराब नहीं बेची जा सकेगी। ये रेस्टोरेंट अब केवल हाईड्रेड की शराब ही बेच पाएंगे।

नई बार पॉलिसी में वर्ष 2026-27 के लिए होटल के बैकडेट डाल आदि में अप्रैलित पार्टी या कांसिप के लिए एल.5/एफ.5 क लाइसेंस प्राप्ति किये जाने हेतु आकार की आरुक्त से पुनर्निर्माण किये जाने लाइसेंस प्राप्ति को समाप्त किया गया है। ऐसी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संबंद्ध जिले के कलेक्टर द्वारा की जा सकेगी। एफ.एल.ए एफ.एल.5 क लाइसेंस जिले के कलेक्टर द्वारा जारी करने के पछे, अप्रैलित रखा का नियमानुसार निरीक्षण किया जाएगा। अनुज्ञप्ति धारक के लिए यह अनिवार्य शर्त होगी कि आयोजित होने वाली पार्टी या आयोजन या कांसिप संबंधी विवरण का अभिलेख रखेगा। आबकारी विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निरीक्षण के समय अभिलेख का उपलब्धता भी कराया जाएगा। पीने-पिलाने की अवधि दोपहर 12 से रात 12 बजे तक होगी।

शराब हो फिजाली। जनकारों का मानना है कि, इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि सरीय रेस्टोरेंट में सी ग्रेड की शराब

नीति में ये साफकिया गया है कि एफ.एल.5 और एक अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बचत मंदिरा स्क्व के ससुंगु विवरण सलित अच्यपण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा तथा उपभोग से शेष रही मंदिरा का अच्यपण नहीं किये जाने की रखा में उक्त मंदिरा अवैध मानी जावेगी। उपभोग से शेष रही मंदिरा का विधिवत् नियमानुसार नष्टकरण जिला स्तर की समिति गठित कर किया जाएगा। सूत्रों से अनुसार एक दिन की पार्टी के लिए अनुमति का अधिकार आबकारी कमिशनर की जगह जिला कलेक्टर को दिए जाने के पीछे कारण ये है कि पार्टी देने वालों के आसानी से अनुमति या लाइसेंस मिल सके। इसके साथ ही यह बदलाव इमालीर भी किया गया है कि अवैध शराब पर रोक लाइज जा सके। होता ये था कि अगर कोई व्यक्ति फार्म हाइस में या किसी अन्य स्थान पर शराब की पार्टी देने के लिए करी से शराब लाकर पोसने का काम करत था, आबकारी विभाग के मुताबिक यह कानून अमराप है।

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के सभी सरीय रेस्टोरेंट में अब कम कीमत वाली सी ग्रेड की शराब नहीं बेची जा सकेगी। ये रेस्टोरेंट अब केवल हाईड्रेड की शराब ही बेच पाएंगे।

नई बार पॉलिसी में वर्ष 2026-27 के लिए होटल के बैकडेट डाल आदि में अप्रैलित पार्टी या कांसिप के लिए एल.5/एफ.5 क लाइसेंस प्राप्ति किये जाने हेतु आकार की आरुक्त से पुनर्निर्माण किये जाने लाइसेंस प्राप्ति को समाप्त किया गया है। ऐसी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संबंद्ध जिले के कलेक्टर द्वारा की जा सकेगी। एफ.एल.ए एफ.एल.5 क लाइसेंस जिले के कलेक्टर द्वारा जारी करने के पछे, अप्रैलित रखा का नियमानुसार निरीक्षण किया जाएगा। अनुज्ञप्ति धारक के लिए यह अनिवार्य शर्त होगी कि आयोजित होने वाली पार्टी या आयोजन या कांसिप संबंधी विवरण का अभिलेख रखेगा। आबकारी विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निरीक्षण के समय अभिलेख का उपलब्धता भी कराया जाएगा। पीने-पिलाने की अवधि दोपहर 12 से रात 12 बजे तक होगी।

शराब हो फिजाली। जनकारों का मानना है कि, इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि सरीय रेस्टोरेंट में सी ग्रेड की शराब

नीति में ये साफकिया गया है कि एफ.एल.5 और एक अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बचत मंदिरा स्क्व के ससुंगु विवरण सलित अच्यपण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा तथा उपभोग से शेष रही मंदिरा का अच्यपण नहीं किये जाने की रखा में उक्त मंदिरा अवैध मानी जावेगी। उपभोग से शेष रही मंदिरा का विधिवत् नियमानुसार नष्टकरण जिला स्तर की समिति गठित कर किया जाएगा। सूत्रों से अनुसार एक दिन की पार्टी के लिए अनुमति का अधिकार आबकारी कमिशनर की जगह जिला कलेक्टर को दिए जाने के पीछे कारण ये है कि पार्टी देने वालों के आसानी से अनुमति या लाइसेंस मिल सके। इसके साथ ही यह बदलाव इमालीर भी किया गया है कि अवैध शराब पर रोक लाइज जा सके। होता ये था कि अगर कोई व्यक्ति फार्म हाइस में या किसी अन्य स्थान पर शराब की पार्टी देने के लिए करी से शराब लाकर पोसने का काम करत था, आबकारी विभाग के मुताबिक यह कानून अमराप है।

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के सभी सरीय रेस्टोरेंट में अब कम कीमत वाली सी ग्रेड की शराब नहीं बेची जा सकेगी। ये रेस्टोरेंट अब केवल हाईड्रेड की शराब ही बेच पाएंगे।

नई बार पॉलिसी में वर्ष 2026-27 के लिए होटल के बैकडेट डाल आदि में अप्रैलित पार्टी या कांसिप के लिए एल.5/एफ.5 क लाइसेंस प्राप्ति किये जाने हेतु आकार की आरुक्त से पुनर्निर्माण किये जाने लाइसेंस प्राप्ति को समाप्त किया गया है। ऐसी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संबंद्ध जिले के कलेक्टर द्वारा की जा सकेगी। एफ.एल.ए एफ.एल.5 क लाइसेंस जिले के कलेक्टर द्वारा जारी करने के पछे, अप्रैलित रखा का नियमानुसार निरीक्षण किया जाएगा। अनुज्ञप्ति धारक के लिए यह अनिवार्य शर्त होगी कि आयोजित होने वाली पार्टी या आयोजन या कांसिप संबंधी विवरण का अभिलेख रखेगा। आबकारी विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निरीक्षण के समय अभिलेख का उपलब्धता भी कराया जाएगा। पीने-पिलाने की अवधि दोपहर 12 से रात 12 बजे तक होगी।

शराब हो फिजाली। जनकारों का मानना है कि, इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि सरीय रेस्टोरेंट में सी ग्रेड की शराब

नीति में ये साफकिया गया है कि एफ.एल.5 और एक अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बचत मंदिरा स्क्व के ससुंगु विवरण सलित अच्यपण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा तथा उपभोग से शेष रही मंदिरा का अच्यपण नहीं किये जाने की रखा में उक्त मंदिरा अवैध मानी जावेगी। उपभोग से शेष रही मंदिरा का विधिवत् नियमानुसार नष्टकरण जिला स्तर की समिति गठित कर किया जाएगा। सूत्रों से अनुसार एक दिन की पार्टी के लिए अनुमति का अधिकार आबकारी कमिशनर की जगह जिला कलेक्टर को दिए जाने के पीछे कारण ये है कि पार्टी देने वालों के आसानी से अनुमति या लाइसेंस मिल सके। इसके साथ ही यह बदलाव इमालीर भी किया गया है कि अवैध शराब पर रोक लाइज जा सके। होता ये था कि अगर कोई व्यक्ति फार्म हाइस में या किसी अन्य स्थान पर शराब की पार्टी देने के लिए करी से शराब लाकर पोसने का काम करत था, आबकारी विभाग के मुताबिक यह कानून अमराप है।

[illegible]

बस्तर पर्यटन ने भारी नई उड़ान, वर्षों से लंबित योजनाओं को मिली गति

■ प्राकृतिक धरोहर पर बड़ी सुविधाएं, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिला नया सबल

रायपुर/नवप्रदेश। प्राकृतिक सौंदर्य, झरनों की कलकल ध्वनि, घने वनों की हरियाली और समृद्ध जनजातीय संस्कृति से परिपूर्ण बस्तर अंचल अब पर्यटन विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। जिन पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर लंबे समय से अपेक्षाएं थीं, वहीं अब चरणबद्ध तरीके से अधूरापन एवं आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्य शासन और पर्यटन विभाग के संयोजित प्रयासों से बस्तर के पर्यटन परिपक्वता में सरकारसक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा है।



टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर और डिजिटल पहल

जगदलपुर में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से पर्यटकों को आवास, स्थानीय भ्रमण, गाइड सुविधा और अन्य आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। ओनलाइन बुकिंग, डिजिटल भूतल और प्रवास-पसार के आधुनिक माध्यमों का उपयोग कर पर्यटन सेवाओं को अधिक सुगम बनाया गया है।

प्रमुख स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार

विशेष निवेश चिकको जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, देवेबाबा, बारसूर, नारायणपुर और कोडगाम सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सड़क संकों को बेहतर किया गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए नृत्यव्यवस्था, पार्किंग, पेयजल व्यवस्था, आधुनिक शौचालय, विश्राम शेड, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है। साथ ही, पर्यटकों को जानकारी के माध्यम से सुरक्षित पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे देश-विदेश के पर्यटक बस्तर की अनूठी परंपराओं से परिचित हो रहे हैं।

स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर

पर्यटन विकास का सबसे संकारामक प्रभाव स्थानीय युवाओं के रोजगार पर पड़ा है। गाइड प्रशिक्षण, आतिथ्य सेवा, सांस्कृतिक पर्यटन गाइडशिप और होम-स्टे योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्प, बेल्मेट कला, टेराकोटा और जनजातीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान

पर्यटन विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, हरित पट्टी विकास और जीव विविधता संरक्षण के प्रयासों से बस्तर की प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा

बस्तर की पहचान केवल प्राकृतिक स्थलों से ही नहीं, बल्कि इनकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं से भी है। बस्तर शासनायक महोदय और लोकनृत्य आयोजनों के माध्यम से सांस्कृतिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे देश-विदेश के पर्यटक बस्तर की अनूठी परंपराओं से परिचित हो रहे हैं।

दीर्घकालीन मास्टर प्लान पर कार्य

पर्यटन विभाग द्वारा बस्तर के समग्र विकास हेतु दीर्घकालीन मास्टर प्लान के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। भविष्य में सांस्कृतिक पर्यटन, इको-टूरिज्म, वाइल्डलाइफ टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन को और सशक्त बनाने की दिशा में पहल जारी है। स्थानीय नागरिकों, पर्यटन व्यवसायियों और आमजनों ने इन विकास कार्यों पर सकारात्मक कदम करते हुए विचार जताया है। कि बस्तर अपने वास्तविक रूप में प्रवेश ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा।

न्यू गैलरी

तालाब में युवक की डुबोकर हत्या आरोपी को आजीवन कारावास

छुईखदान/नवप्रदेश। ग्राम हिरावाही में वर्ष 2023 में हुए चर्चित हत्या प्रकरण में मानीय न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को सभ्य आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस निर्णय से मुक्त की गई हिरावाही में मिला है। ग्राम जानकारी के अनुसार, थाना खैरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिरावाही में 1 मार्च 2023 की रात लगभग 11 बजे तालाब में मछली की रखवाली कर रहे अशोक बर्मन और मोहन राय झोपड़ी में भोजन कर रहे थे। इसी दौरान धनंजय बाग उर्फ भंडारी उर्फ उर्फ (35 वर्ष), निवासी गांधी नगर पडोरा रायपुर, वहां पहुंचा और दोनों पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाते हुए मारपीत शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अशोक बर्मन को दौड़ाकर तालाब तक ले गया और पानी में डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 95/2023 के तहत धारा 323 एवं 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल के पास से ही हिरावाही में लिया। आरोपी के भीगे कपड़े और रक्त से प्रत्युक्त डंडा मौके से जब किया गया। पुलिस द्वारा पण्डित साधु एकांशित कर अभियोग पर मानीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई उपांत में आरोपी और सहायक खैरागढ़ कुमारी मोहन राय ने 12 फरवरी 2026 को आरोपी को धारा 302 भारतीय दंड सभ्य आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 500 रुपये और 2000 रुपये का अर्बुद भी लगाया गया।

नवागांव रोड में बाहरी लोगों का डेरा नशाखोरी से बिगड़ रहा माहौल



छुईखदान/नवप्रदेश। नगर क्षेत्र में इन दिनों सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। नवागांव रोड में पिछले लगभग 15 दिनों से बाहरी लोगों द्वारा डेरा डालकर रहने की जानकारी सामने आई है। इन लोगों की पहचान, निवास स्थान और यहां रहने की अनुमति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन बाहरी लोगों के संबंध में अब तक पुलिस या प्रशासन द्वारा कोई सत्यापन नहीं किया गया है। लोगों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते पहचान और दस्तावेजों की जांच नहीं की गई तो भविष्य में चोरी या अन्य अपराधिक घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि नवागांव रोड में डेरा डालकर रह रहे लोगों का आधार कार्ड व अन्य पहचान दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि उन्हें यहां रहने की अनुमति किसके द्वारा दी गई है।

फुटमल्ला नहर परियोजना को मिली रफ्तार

नगरी/नवप्रदेश। सिहावा विधानसभा क्षेत्र के नगरी विकासखंड में वर्षों से लंबित फुटमल्ला नहर परियोजना अग्रे रफ्तार पकड़ चुकी है। किसानों को दीर्घकालीन विश्वास सुविधा देने वाली यह महत्वाकांक्षी योजना क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है। मौलाना सुहाब कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने स्वतंत्र पंचवक्त्र प्रमाणित कार्य को प्रगति का विस्तृत निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर ने निम्न तकनीकी प्रगति का जायजा : कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने ग्राम फुटमल्ला में नहर निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हुए कार्य की गति, गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना निर्माणित समसमय में बेहतरतः प्रगति के साथ पूरी होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्थानीय किसानों से बातचीत कर उनकी अपेक्षाएं और सुझाव भी सुने।

किसानों के लिए मौल का पक्षर बतार परियोजना: कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि फुटमल्ला नहर नगरी क्षेत्र के लिए विकास का महत्वपूर्ण अंग है। इससे किसानों की स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर जल प्रबंध सभाग (क्रीडा 38) के कार्यपालन अभिर्ता हेमलाल कुंरिसि भी उपस्थित रहे।

आंगनवाड़ी स्वास्थ्य और शिक्षा का केंद्र बना

मामसुन/नवप्रदेश। सिल्ले में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार और कुपोषण को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 9 से 18 वर्ष की बच्ची बच्चा लहारा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सिल्ले परियोजना अंतर्गत डॉ. सुशील मुस्तफा वार्ड (सेक्टर-38) में विशेष शिविर लाकार बच्ची एवं गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पण्डित प्रहलाद अहिर एवं श्रीमती पुष्पा उपाध्याय उपस्थित रहे। कार्यक्रम द्वारा बच्चों का तिरिक लाकार स्वागत किया गया तथा उनका वजन एवं उंचाई मापी गई। इस दौरान बच्चों का वजन-ऊंचाई परीक्षण किया गया।

कोरबा में बिजली उत्पादन की रफ्तार तेज, लेकिन फ्लाई ऐश ज़िंदगी पर पड़ रही भारी

पॉवर प्लांट की राख से ढक रही सड़कें खेत में जमती धूल और उखड़ रही सांसें

कोरबा/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले कोरबा में बिजली उत्पादन की रफ्तार तेज है, लेकिन इसके साथ निरन्तर वाली फ्लाई ऐश और धूल लोगों की रोजगारों की जिलगी पर भारी पड़ रही है। शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर उड़ती राख, खेतों में जमती धूल और गाड़ों में डेप हो रही ऐश एक बड़े पर्यावरणीय संकट को तस्वीर पेश कर रही है।

पॉवर प्लांट से निकलकर गांव तक: कोरबा में स्थित बड़े बिजली संयंत्रों में एनटीपीसी की इकाई और Chhattisgarh State Power Generation Company Limited के प्लांट शामिल हैं। इन संयंत्रों से रोजाना हजारों टन फ्लाई ऐश निकलती है। नियंत्रण के मुताबिक इसका सुरक्षित परिवहन और उपयोग होना चाहिए, लेकिन जमीनी हलत कुछ और कहती बताती है। सुबह से रात तक ऐश से भरे ढुंगों की कतार शहर की



खेतों तक पहुंची राख

शहर से लगे गांवों में कई जगह गाड़ों को भरने के नाम पर फ्लाई ऐश ढाल दी जा रही है। बारिश के बाद खीरा राख बहकर खेतों में फैल जाती है। कुछ किसानों का कहना है कि प्लांट की पीछावा प्रभावित हो है और मिट्टी की गुणवत्ता बदल गई है। पशुओं के लिए भी यह राख खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि खुले में डींग के फांसे या दलाल जैसी स्थिति में काम जाते हैं।

नियम और हकीकत के बीच फर्क

फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए केंद्रीय स्तर पर सख्त दिशा-निर्देश हैं, लेकिन राज्य स्तर पर खुले ढुंगों में निर्यात डेपकर परिवहन की अनुमति दी गई है। फ्लाई ऐश का कचरा है कि अगर चरकर केवल या पूरी तरह सीलबंद ढुंगों की अतिव्यवस्था दी जा तो सड़कों पर उड़ती राख की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।

सेहत पर असर

डोंटरो की का कहना है कि लगातार धूल और राख के संपर्क में रहने से सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर ज्यादा दिखाई देता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि फ्लाई ऐश में मौजूद भारी धातुएं लंबे समय में भूजल और मिट्टी को भी प्रदूषित कर सकती हैं।

सड़कों पर देखी जा सकती है। निर्यात से डेप इन ट्रेक से भरने पर खल मिलती बताती है। दोपहर

वाहन चालक और पैदल चलने वाले लोग धूल के घुमार में फिर जाते हैं। बच्चों के श्वसन निकायों को

कि बिड़कियां बंद रखने के बावजूद धूल के भीतर महान राख की परत जम जाती है।

फोर्स को बड़ी सफलता, कांकेर-नारायणपुर सीमा पर हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा बरामद



कांकेर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर से लगे जंगलों में नक्सलियों ने हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपा रखी थी। गुप्त सूचना के आधार पर डीआरजी और बोरसोरा के संयुक्त बल ने सच और सत्यता चलाया, जिसमें यह बड़ा बरामद हुआ।

बड़ी सफलता को अंजाम देने की वजह में थे नक्सलियों: सुरक्षाबलों ने मौके से एक बीबीएल लॉन्चर, 30 न

बीबीएल, 4 आईडी, आईडी बरामद में इस्तेमाल होने वाला सामान, दो बंदूकें और लिट राइड बरामद किए हैं। माना जा रहा है कि, नक्सली इन हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी वादावादी को अंजाम देने की प्रकल्प में थे। यह पूरा मामला खेते खेतीवा बल क्षेत्र का बताया जा रहा है। बरामद सामग्री को ज्वर कर आगे का जवा शुरू कर दी गई है।

फेयरवेल पार्टी की आड़ में हुडदंगाई, चलती कार पर लटककर शराब के साथ छात्रों की स्टंटबाजी

जशपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में छात्रों का स्टंटबाजी करते हुए बीबीडी सामने आया है। फेयरवेल पार्टी की मस्ती का गीत गीत के बुलबुले में बदल सकती है, इसका अंदाजा शायद इन छात्रों की भी नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह बीबीडी प्रशासन और अभिभावकों, दोनों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। चलती कार में स्टंटबाजी करते छात्रों का एक बीबीडी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीबीडी में साफदेखा जा सकता है कि, कुछ युवक कार के दरवाजे पर लटककर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। हरान की बात यह है कि, स्टंट के दौरान एक युवक हाथ में एक शराब की बोतल लपटते हुए दिखाई दे रहा है।

फेयरवेल पार्टी के बहाने



स्टंटबाजी: बताया जा रहा है कि, यह घटना स्कूल में आयोजित फेयरवेल पार्टी के बाद की है, जहां से निरवृत्त वक्त छात्रों ने सड़क पर यह खतरनाक हलक की। वायरल बीबीडी जशपुर जिला के किन्नेल गांव का बताया जा रहा है।

फेयरवेल पार्टी के नाम पर हुडदंगाई: विद्यार्थियों ने होने वाले फेयरवेल समारोह सहित अन्य आयोजनों में अब छात्र स्टंटबाजी करते हुए रौत नहीं बना सकेंगे। उन्हें अपने शिक्षकों की निगरानी में ही विवाद समारोह जैसे आयोजन

करने होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वालक अधिकार संरक्षण आयोग ने लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ राज्य संचालनालय, समस्त जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी करने का कहा है। यह व्यवस्था मोदी दिनों छात्रों के वायरल हुए बीबीडी के बाद की गई है। कथकों के एक विवरण में फेयरवेल पार्टी के दौरान छात्रों का एक बीबीडी फेरी गाड़ी में वायरल हुआ। जिसमें छात्र-छात्राई गाड़ियों पर स्टंट करते नजर आए।